Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

फ्रॉड फोन कॉलों से सावधान

नेशनल ऑर्गन एण्ड टिशू ट्रांसप्लांट ऑरगेनाईजेशन (नोटों) को यह ज्ञात हुआ है कि लिविंग डोनर कार्ड से संबंधित एक स्कैम चल रहा है जिसमें पीड़ित को कॉल की जाती है और लिविंग डोनर कार्ड को प्राप्त करने के लिए 12000 रू. का भुगतान करने को कहा जाता है और यह कहा जाता है कि यह कार्ड (फ्रॉड) रुपये के बदले अंगदान करने में उनकी सहायता करेगा |

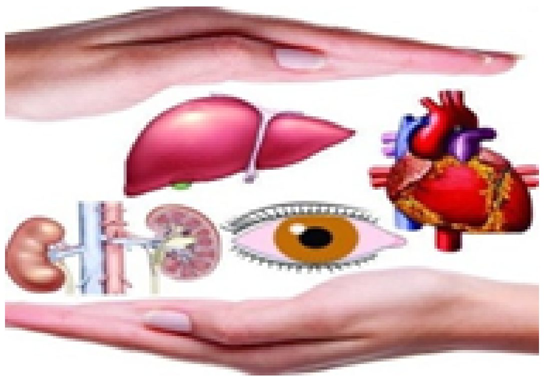

नेशनल ऑर्गन एण्ड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑरगेनाईजेशन (नोटों) आपको जागरूक करना चाहता है कि ह्यूमन ऑर्गन एण्ड टिश्यू ट्रांसप्लांट अधिनियम (मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम) के तहत "अंगों का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक लेन-देन करना एक अवधि के कारावास की सजा के साथ एक दंडनीय अपराध होगा जो पाँच वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु इसे 10 वर्ष तक बढ़ाया और जुर्माना लगाया जा सकता है जो बीस लाख से कम नहीं होगा और इसे एक करोड़ रूपये तक बढ़ाया जा सकता है "|